रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238515 CG-DL-E-01092022-238515

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598] No. 598] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

आयकर

सा.का.नि. 677(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उनत्तीसवां संशोधन) नियम, 2022 है। (2) यह 9 जुलाई 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 के नियम 114 खख में उप नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस उप नियम के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति, उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) के क्रम संख्या 1 के अनुसार रकम को जमा करता है या स्तंभ (2) के क्रम संख्या 2 के अनुसार रकम को वापस करता है अथवा स्तंभ (2) के क्रम संख्या 3 के अनुसार चालू खाता या नगद उधार खाता खोलता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या परामर्शदाता कार्यालय है।"।

[अधिसूचना सं. 105/2022/फा. सं. 370142/38/2022-टीपीएल-भाग I]

शेफाली सिंह. अवर सचिव

5883 GI/2022 (1)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने के द्वार इस संबंध में किसी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 647(अ) तारीख 26.08.2022 को किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(department of revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, 1st September, 2022

INCOME-TAX

- **G.S.R.** 677(E).—In exercise of the powers conferred by section 139A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (29thAmendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall be deemed to have come into force from the 9th day of July, 2022.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 114BB, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply in a case where the person, depositing the money as per Sl. No. 1 of column (2) or withdrawing money as per Sl. No. 2 of column (2) or opening a current account or cash credit account as per Sl. No. 3 of column (2) of the Table above, is the Central Government, the State Government or the Consular Office."

[Notification No. 105/2022/F. No. 370142/38/2022-TPL-Part-I]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that by giving retrospective effect to the present notification, no person will be adversely affected in this regard.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 647 (E) dated 26th August, 2022.